04.1.23. पत्रावली पेश हुई। वादी अभिभाषक उपस्थित। वादी अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली में प्रस्तुत वाद, अभिलेख का साक्ष्य अवलोकन किया जा कर पत्रावली में निर्णय/डिक्री पृथक से जारी की जा कर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 197 / 2021

उनवान

गोगजी पिता धुलिया जाति सारगड़ा (तिरगर) निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) लालजी पिता धुलिया जाति सारगड़ा (तिरगर) निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(2) परमेश पिता लालजी जाति सारगड़ा (तिरगर) निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक: 05.[illegible].2023

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के स्वामित्व व आधिपत्य व खाते की कृषि भूमि गांव बोरी पटवार हल्का बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित है। जिसका खाता संख्या 907 व पुराना 777 दर्ज रेकॉर्ड है। जिसमें से प्रार्थी की खसरा संख्या 4322 रकबा 0.07 एयर है। जिस पर वादी शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। उक्त खाते के खसरा संख्या 4322 रकबा 0.07 एयर की भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर अवैध रूप से गैर कानुनी से निर्माण करने हेतु नीवं खोद दी है वादी द्वारा ना करने पर प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है और वादी को जान से मारने की धमकि दे रहे हैं। वादी एक कमजोर गरीब किसान है और प्रतिवादीगण संख्या भूमि में अनाधिकृत रूप से प्रवेश होकर अवैध रूप नीवं खोद दी है एवं वादी द्वारा ना करने पर प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है और वादी को जान से मारने की धमकि दे रहे हैं। वादी एक कमजोर गरीब किसान है और प्रतिवादीगण संख्या में अधिक है जिसकी थाना गढ़ी में भी रिपोर्ट दी थी परन्तु थाना गढ़ी वालों ने कहा कि ये रेवेन्यु मेटर है, एस.डी.ओ. कोर्ट में जाकर दावा करो। इसलिए वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध ये वाद पत्र पेश करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण का बहुत बडा परिवार है और वादी का अकेला परिवार है इसलिए डरा धमकार वादी की उक्त कृषि भूमि में अवैध रूप से निर्माण करने हेतु नीवं खोद दी है इसलिए वादी के उक्त खेतों में प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से किये गये कब्जे व अतिक्रमण को हटाने व भविष्य में वादी की उक्त खाते की भूमि में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें, इस हेतु वाद हस्ब धारा 188 रा.का.अ. के तहत पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के उपरान्त भील प्रतिवादीगण के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। प्रकरण में वादी अभिभाषक द्वारा वादी की साक्ष्य प्रस्तुत कर दस्तावेजात् पर प्रदर्श अंकित करवाया गया। तत्पश्चात प्रकरण में वादी अभिभाषक की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

बहस पर मनन् करने तथा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद, दस्तावेजा्, साक्ष्य का शपथ—पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि वादी के खातेदारी सर्वे नम्बर 4322 रकबा 0.07 हे0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बाद सम्मन तामिल के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही हुऐ।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया ज[illegible] में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को आ[illegible] खाता संख्या 907 (नई) 777 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत [illegible] 4322 रकबा 0.07 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, [illegible] करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में [illegible]धान पैदा होवे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को आदेशित किया जाता है कि मौजा बोरी की खाता संख्या 907 (नई) 777 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में दर्ज सर्वे नम्बर 4322 रकबा 0.07 है0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक ०५.1.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, [illegible] गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्राजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

आज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, मुकामः गढ़ी व इजलास : अंजु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 197 / 2021

उनवान

मोगजी पिता धुलिया जाति सरगड़ा (तिरगर) निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: वादी

बनाम

(1) लालजी पिता धुलिया जाति सरगड़ा (तिरगर) निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

(2) परेश पिता लालजी जाति सरगड़ा (तिरगर) निवासी बोरी तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

(3) तहसीलदार, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः .1.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी अभिभाषक पेश होकर हुकम दिया जाता हैं कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रकरण में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को आदेशित किया जाता हैं कि मौजा बोरी की खाता संख्या 907 (नई) 777 (पुरानी) की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 में दर्ज सर्वे नम्बर 4322 रकबा 0.07 हे0 भूमि में किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नही करें एंव न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होवे। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक ०५.०१ 2023 को जारी की गई।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:22:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड ... जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner